आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 41/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

07/12

भू–दाता पंडित काशीनाथ उपाध्याय, पिता–पंडित शालिग उपाध्याय, ग्राम–दरियापुर, थाना–पालीगंज, जिला–पटना से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
311	–	1 विधा 09 कठा	उत्तर– दक्षिण– पूरब– पश्चिम–

मौजा–कोनिका, थाना–अरवल, थाना नं०–....., अंचल+जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से भूदाता को नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूदाता एवं कब्जाधारी के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नही हुए और नां ही किसी के द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में आपति दर्ज किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। यशोदानन्द उपाध्यय का गवाह में नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतियान उपलब्ध नही है। सुरेश सिंह, पिता–स्व राम नगीना सिंह, ग्राम–कोड़रा, थाना–पालीगंज,

नाम पर जमाबंदी कायम है। वर्तमान कब्जाधारी केवालादार हैं। प्रमोद सिंह, अरुण कुमार, प्रिंस कुमार, पिता–स्व० सुरेश सिंह, ग्राम–कोड़रा, थाना–पालीगंज, जिला–पटना वर्तमान में वर्णित भूमि पर दखल कब्जा में है। भूमि धनहर है। खाता संख्या–311 में खेसरा संख्या–348, 1212 एवं 1213 है जिसका कुल रकवा कमशः 38 डी०, 25 डी० एवं 31 डी० है। जमीन वकास्त मालिक है।

भू–दाता द्वारा खाता संख्या–311 में 01 विधा 09 कठा भूमि दान में दिया है जिसका जमाबंदी सुरेश सिंह, पिता–स्व० राम नगीना सिंह, ग्राम–कोड़रा, थाना–पालीगंज, जिला–पटना के नाम जमाबंदी कायम है जो केवालादार है। चूँकि वर्णित भूमि पर जमाबंदीधारक के पूत्र प्रमोद सिंह, अरूण कुमार, प्रिंस कुमार, पिता–स्व० सुरेश सिंह का दखल कब्जा है। भूदाता का दान वर्णित भूमि पर **Right Titel Interest** था। खाता संख्या–311 में खेसरा संख्या–348, 1212 एवं 1213 है जिसका कुल रकवा–38 डी०, 25 डी० एवं 31 डी० है। वर्णित भूमि को संपुष्ट करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि असंपुष्ट किया जाता है। आदेश की एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।